न्यायामूर्ति वी. गुप्ता,ए.सी.जे. और एम. एस. लिब्रहान, के समक्ष

रमा कांत शर्मा,- अपीलकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य,- प्रतिवादी।

1981 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 2453

परिसीमा अधिनियम, 1963-अनुच्छेद 58 और 113-जन्मतिथि में सुधार के लिए मुकदमा-ऐसे मुकदमे के लिए परिसीमा-परिसीमा का प्रारंभ।

माना गया कि एक बार जब यह पाया गया कि वादी को अपनी जन्मतिथि की गलतता के बारे में वर्ष 1950 में पता चला था, तो कार्रवाई का कारण वर्ष 1950 में उत्पन्न हुआ था, वर्ष 1980 में दायर मुकदमा स्पष्ट रूप से रोक दिया गया था। अनुच्छेद 58 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समय। अन्यथा भले ही अनुच्छेद 58 परिसीमा अधिनियम, (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) के अनुच्छेद 113 के प्रावधानों को लागू नहीं करता है, जो यह प्रावधान करता है कि ऐसे मुकदमे में जिसके लिए कोई परिसीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है अनुसूची में अन्यत्र, सीमा की अवधि. तीन वर्ष का समय है जब मुकदमा करने का अधिकार अर्जित होता है। उक्त प्रावधान के मद्देनजर, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि इस तरह के घोषणात्मक मुकदमे के लिए कोई सीमा प्रदान नहीं की गई थी। उक्त अनुच्छेद 113 एक अवशिष्ट अनुच्छेद है जो उन सभी मुकदमों पर लागू होता है जिनके लिए अधिनियम की अनुसूची में कहीं और कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है। "इन परिस्थितियों में, मुकदमा स्पष्ट रूप से समय से बाधित था।

(पैरा- 7)

मामले में शामिल कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के निर्णय के लिए इस मामले को 30 मई, 1989 को माननीय श्री न्यायमूर्ति जे. वी. गुप्ता (जैसा कि वह तब थे) द्वारा एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के 15 जनवरी, 1990 के आदेशों के तहत गठित माननीय

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री जे.वी. गुप्ता और माननीय श्री न्यायमूर्ति एम.एस. लिब्रहान की खंडपीठ ने आखिरकार फरवरी में मामले का फैसला सुनाया 21, 1990.)

अपर न्यायालय के आदेश से नियमित द्वितीय अपील। जिला न्यायाधीश कमल ने 29 अगस्त, 1981 को वरिष्ठ उप-न्यायाधीश कमल द्वारा 31 मार्च, 1981 के आदेश की पुष्टि करते हुए वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया, लेकिन पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया।

दावा: इस आशय की घोषणा के लिए एक डिक्री के लिए मुकदमा कि वादी की जन्म तिथि 4 मार्च, 1923 के बजाय 11 मार्च, 1925 है, जैसा कि उसके सेवा रिकॉर्ड में दिखाया गया है और इस प्रकार वादी को 11 मार्च, 1983 तक सेवा में रखा जाए। वह तारीख जब वह पूरे वेतन और भत्ते आदि के साथ 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा।

अपील में दावा: नीचे की दोनों अदालतों के आदेश को उलटने के लिए।

अपीलकर्ता की ओर से नौबत सिंह, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से एस.एस. अहलावत, डीएजी हरियाणा।

निर्णय

जे. वी. गुप्ता, ए.सी.जे.-

इस मामले को मैंने अकेले बैठकर 30 मई, 1989 के आदेश के तहत संदर्भित किया था और इस तरह यह मामला इस पीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया है।

(2) यह वादी की दूसरी अपील है जिसका मुकदमा नीचे की दोनों अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया है। वादी, जो अतिरिक्त लोक अभियोजक, करनाल के रूप में कार्यरत था, ने 16 सितंबर, 1980 को यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि उसकी वास्तविक जन्मतिथि 11 मार्च, 1925 थी और इस प्रकार, उसे 11 मार्च, 1983 को सेवानिवृत्त होना था। 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वर्ष 1978 में यह उनके ध्यान में आया कि उनकी जन्मतिथि उनके स्कूल प्रमाणपत्र के आधार पर उनके सेवा रिकॉर्ड में 4 मार्च, 1923 गलत तरीके से दर्ज की गई थी। लिखित बयान में, राज्य की ओर से यह दलील दी गई कि वादी को पी.एस.आई. के रूप में उसकी पहली नियुक्ति के समय, उसके स्वयं के कार्य और आचरण के कारण मुकदमा दायर करने से रोक दिया गया था। उन्होंने अपनी जन्मतिथि 4 मार्च, 1923 दर्शायी थी। यह भी दलील दी गई कि उनकी नियुक्ति उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के

आधार पर की गई थी और इसकी पुष्टि सरकारी सेवा में प्रवेश के समय उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से हुई थी; अयस्क. उसके पास वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं था, जो चलने योग्य नहीं होने के अलावा परिसीमा द्वारा वर्जित था। आगे यह दलील दी गई कि अभियोजन निदेशक ने उनकी उम्र में सुधार के लिए उनके अभ्यावेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया था और उक्त आदेश कानूनी और वैध था। यह तर्क देने के लिए पंजाब वित्तीय नियम, खंड I के नियम 7.3 का भी संदर्भ दिया गया था कि यदि अपनी नियुक्ति की तारीख से दो साल के भीतर, सरकारी कर्मचारी अपनी उम्र की शुद्धता के बारे में प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो इसे सही माना जाएगा और , इसलिए, वादी को अब अपनी उम्र के संबंध में मुकदमा दायर करने से रोक दिया गया था।

(3) निचली अदालत ने माना कि वादी अपनी जन्मतिथि 11 मार्च, 1925 को साबित करने में विफल रहा, जैसा कि उसने वादी में दावा किया था। यह भी माना गया कि वादी वर्ष 1950 में अपनी सेवा में शामिल होने के दो साल के भीतर अपनी उम्र में सुधार के लिए मुकदमा ला सकता था और 1980 में दायर किया गया मुकदमा समय के भीतर नहीं था। एक निष्कर्ष यह भी दर्ज किया गया था कि वादी को उसके स्वयं के कार्य और आचरण से वर्तमान मुकदमा दायर करने से रोक दिया गया था क्योंकि उसे गर्म या ठंडा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और यह आरोप लगाने के लिए कि वह अपने सेवा रिकॉर्ड में दी गई उम्र से छोटा था, जबकि वह शेष था। सेवा दो वर्ष के लिए थी। इन निष्कर्षों के मद्देनजर वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया, - 31 मार्च 1981 का व्यापक फैसला। अपील में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने जन्म तिथि के संबंध में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को उलट दिया और फैसला सुनाया। निष्कर्ष यह है कि वादी के नेतृत्व में दिए गए साक्ष्य से स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ कि उसकी जन्मतिथि 11 मार्च, 1925 थी। यह भी माना गया कि मुकदमा समय के भीतर नहीं दायर किया गया था क्योंकि यह गलती की जानकारी होने की तारीख से तीन साल के भीतर दायर नहीं किया गया था। वादी। निचली अपीलीय अदालत के अनुसार, अपनी जन्मतिथि को सही करने के लिए कार्रवाई का कारण वादी को वर्ष 1950 या उसके आसपास जमा हुआ था और इस प्रकार, मुकदमा स्पष्ट रूप से समय-बाधित था। अंततः, मुकदमा इन टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया गया: -

"उपरोक्त चर्चा का सार और सार यह है कि उनकी वास्तविक जन्मतिथि 11 मार्च, 1925 है, लेकिन उन्हें हरियाणा राज्य द्वारा यह दावा करने से रोका गया है कि उनकी जन्मतिथि 11 मार्च, 1925 है, न कि 4 मार्च, 1923, इत्यादि। उन्होंने हरियाणा राज्य के खिलाफ वर्तमान मुकदमे में जो राहत मांगी है वह उन्हें नहीं दी जा सकती"।

(4) मेरे सामने अकेले बैठे-बैठे यह तर्क दिया गया कि घोषणा पत्र का वाद समय से दाखिल किया गया है। एक बार घोषणा पत्र देने के बाद, उन्हें उस जन्म तिथि, यानी 11 मार्च, 1925 से सेवानिवृत्त होना था,

लेकिन चूंकि वह पहले सेवानिवृत्त हुए थे, इसलिए वे वेतन आदि पाने के हकदार थे। उस समय, मेरा विचार था कि भी यदि इस तरह की घोषणा के लिए मुकदमा कायम रखने योग्य था, तो अपील में उठाया गया प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस तरह के मुकदमे सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनके सेवा करियर के अंतिम छोर पर, यानी उनकी सेवानिवृत्ति से पहले दायर किए जा रहे हैं और इसलिए, निर्णय लेने के लिए दो प्रश्न हैं कि जन्म तिथि के संबंध में राज्य सरकार को बाध्य करने के लिए ऐसे मुकदमे की क्या सीमा है। और दूसरा, क्या मुकदमा दायर करने वाले सरकारी कर्मचारी को उसके स्वयं के कार्य और आचरण द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ ऐसा मुकदमा लाने से रोका गया है, जबकि उसने स्वयं सरकारी सेवा में प्रवेश के समय अपनी जन्मतिथि अलग-अलग दी है और लिया है। तदनुसार लाभ उठाएं। इस प्रकार, जैसा कि पहले देखा गया था, मामला एक बड़ी बेंच को भेजा गया था।

(5) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नीचे की दो अदालतों द्वारा यह विचार किया गया है कि पंजाब वित्तीय नियम, खंड I के नियम 7.3 के कारण मुकदमा समय से बाधित हो गया था, जो जन्म तिथि की पुष्टि करने के लिए दो साल की अवधि प्रदान करता है। -विभाग द्वारा की गई एड गलत और अवैध थी। इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया, चूंकि लिया गया दृष्टिकोण गलत और अवैध था, मुकदमा समय के भीतर है।

(6) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद) हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं मिली।

(7) वादपत्र के अनुसार, वादी के समक्ष वर्ष 1978 में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ, जब उसे अपने सेवा रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि के गलत होने का पता चला। अब, यह हो गया है। नीचे की दोनों अदालतों द्वारा समवर्ती रूप से पाया गया कि वादी को वर्ष 1950 में कहीं अपनी जन्मतिथि की गलतता के बारे में पता चला। तथ्य की खोज को दूसरी अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती। एक बार जब यह पाया गया कि कार्रवाई का कारण: वर्ष 1950 में उत्पन्न हुआ था, तो वर्ष 1980 में दायर मुकदमे को अनुच्छेद 58 के प्रावधानों के मद्देनजर स्पष्ट रूप से समय से रोक दिया गया था। अन्यथा भले ही अनुच्छेद 58 प्रावधानों को लागू नहीं करता हो परिसीमा अधिनियम (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) के अनुच्छेद 113 में प्रावधान है कि ऐसे मुकदमे में जिसके लिए अनुसूची में कहीं और कोई परिसीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, परिसीमा की अवधि तीन वर्ष है जब मुकदमा करने का अधिकार अर्जित होता है। उक्त प्रावधान के मद्देनजर, यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि इस तरह के घोषणात्मक मुकदमे के लिए कोई सीमा प्रदान नहीं की गई थी। उक्त अनुच्छेद 113 एक अवशिष्ट अनुच्छेद है जो उन सभी मुकदमों पर लागू होता है जिनके लिए अधिनियम की अनुसूची में कहीं और कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में, मुकदमा स्पष्ट रूप से समय से बाधित था। हालाँकि इस संबंध में नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा लिया गया

दृष्टिकोण गलत था, फिर भी उक्त निष्कर्ष उपरोक्त तर्क पर कायम है। इस निष्कर्ष को देखते हुए, अन्य प्रश्न ही नहीं उठता।

(8) नतीजतन, यह अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज कर दी जाती है।

पी.सी.जी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा